

मुद्रण कार्य हेतु फर्मों का पंजीकरण

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय में मुद्रण कार्य हेतु फर्मों का पंजीकरण किया जाना है, जो फर्में परिषद में मुद्रण कार्यों हेतु इच्छुक हों वे दिनांक **25.05.2017** को कार्य दिवस तक जमानत के रूप में **रु० 20,000.00** (रु० बीस हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट/पेआर्डर जो **“उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ”** के नाम देय हो के साथ निम्न औपचारिकताएं पूर्ण कर पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

- फर्म राजकीय मुद्रणालय से पंजीकृत हो।
- फर्म बिक्री/आयकर की अदायगी करती हो।
- फर्म के पास स्वयं का आफसेट प्रिन्टिंग मशीन एवं समुचित सेटअप तथा उचित स्तर का कम्प्यूटर सिस्टम, निगेटिव प्लेट मेकिंग एवं अन्य आवश्यक अन्य सुविधाएं जैसे—स्क्रीन प्रिन्टिंग मशीन आदि से सम्बन्धित मुद्रण यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए।
- फर्म स्वामी द्वारा स्वामित्व/मालिकाना प्रमाण संलग्न किया जायेगा।
- फर्म ने कम से कम 05 सरकारी/अर्धसरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों का मुद्रण कार्य किया हो। परिषद में पूर्व पंजीकृत फर्में यदि पंजीकरण हेतु इच्छुक हों तो उपरोक्तानुसार समस्त प्रपत्रों को पुनः संलग्न कर आवेदन कर सकती हैं।

आवास आयुक्त